प्रदेश में माडर्न (आधुनिक) मदरसा खोले जाने पर विचार–

प्रदेश के मदरसों में अध्ययनरत छात्रों को मूलतः दीनियात (अरबी/फारसी) तथा उर्दू की शिक्षा प्रदान की जाती है। मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार, शैक्षिक उन्नयन एवं विकास के उद्देश्य से आधुनिक विषयों को सम्मिलित करते हुए मदरसों को मान्यता दिये जाने पर विचार किया जाना है अन्य शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण मेधावी छात्रों से प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत मदरसों में अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसके दृष्टिगत प्रदेश में आधुनिक मदरसों को मान्यता दिये जाने हेतु पाठ्यक्रम, भूमि भवन आदि के मानक निर्धारित किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तावित हैः–

1. पाठ्यक्रम — एन0सी0ई0आर0टी0
2. शिक्षा का माध्यम — हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू
3. दीनियात शिक्षा का माध्यम — अरबी/उर्दू
4. न्यूनतम छात्रो की संख्या प्रत्येक कक्षा में 30 होनी चाहिए।
5. प्रत्येक मदरसें में 01 प्रधानाचार्य तथा 01 लिपिक के अतरिक्त पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषयवार नियुक्त होने वाले अध्यापकों का विवरण–

क्र0सं0	कक्षा/स्तर	विषय	अध्यापकों की संख्या
1	प्राथमिक स्तर	दीनियात	01
		हिन्दी	01
		अंग्रेजी	01
		सा0विज्ञान/ विज्ञान/ गणित	01
2	उच्च प्राथमिक स्तर	दीनियात	01
		हिन्दी	01
		अंग्रेजी	01
		सा0विज्ञान	01
		विज्ञान/ गणित	01
3	हाई स्कूल स्तर	दीनियात	01
		हिन्दी	01
		अंग्रेजी	01
		गणित	01
		विज्ञान	01
		सा0विज्ञान	01

मदरसे की स्थापना हेतु भूमि/भवन का मानक

क्र0सं0	स्तर	कक्षो की संख्या	माप प्रतिकक्ष
1	(तहतानिया) प्राथमिक स्तर	5	20 × 25 वर्ग फुट अथवा 500 वर्ग फुट
2	(फौकानिया) उच्च प्राथमिक स्तर	3	20 × 25 वर्ग फुट अथवा 500 वर्ग फुट
3	(मुंशी/मौलवी) हाई स्कूल स्तर	4	20 × 25 वर्ग फुट अथवा 500 वर्ग फुट

Scanned by CamScanner

Office Registrar/Inspector U.P. Board Of Madarsa Education 704, Jawahar Bhawan, Lucknow.

Proposed Fee Structure Of Arbi Farsi Exam 2020.

Current Fees Structure					Proposed Fees Structure						
Regular Fees For Boys					**Regular Fees For Boys**						
S.No	Class	Exam Fee	Marksheet Fee	Total	S.No	Class	Exam Fee (Hike 50%)	Marksheet Fee (Hike 50%)	Total	Rounded Of Rs 10	Total Fees Hike(IN Rs)
1	Munshi/ Maulvi	80.00	30.00	110.00	1	Munshi/ Maulvi	120.00	45.00	165.00	170.00	55.00
2	Alim	120.00	30.00	150.00	2	Alim	180.00	45.00	225.00	230.00	75.00
3	Kamil	160.00	30.00	190.00	3	Kamil	240.00	45.00	285.00	290.00	95.00
4	Fazil	200.00	30.00	230.00	4	Fazil	300.00	45.00	345.00	350.00	115.00
Regular Fees For Girls					**Regular Fees For Girls**						
S.No	Class	Exam Fee	Marksheet Fee	Total	S.No	Class	Exam Fee (Hike 40%)	Marksheet Fee (Hike 50%)	Total	Rounded Of Rs 10	Total Fees Hike(IN Rs)
1	Munshi/ Maulvi	40.00	30.00	70.00	1	Munshi/ Maulvi	56.00	45.00	101.00	110.00	31.00
2	Alim	60.00	30.00	90.00	2	Alim	84.00	45.00	129.00	130.00	39.00
3	Kamil	80.00	30.00	110.00	3	Kamil	112.00	45.00	157.00	160.00	47.00
4	Fazil	100.00	30.00	130.00	4	Fazil	140.00	45.00	185.00	190.00	55.00
Private Fees For Boys					**Private Fees For Boys**						
S.No	Class	Exam Fee	Marksheet Fee	Total	S.No	Class	Exam Fee (Hike 70%)	Marksheet Fee (Hike 50%)	Total	Rounded Of Rs 10	Total Fees Hike(IN Rs)
1	Munshi/ Maulvi	160.00	30.00	190.00	1	Munshi/ Maulvi	272.00	45.00	317.00	320.00	127.00
2	Alim	190.00	30.00	220.00	2	Alim	323.00	45.00	368.00	370.00	148.00
3	Kamil	300.00	30.00	330.00	3	Kamil	510.00	45.00	555.00	560.00	225.00
4	Fazil	320.00	30.00	350.00	4	Fazil	544.00	45.00	589.00	590.00	239.00
Private Fees For Girls					**Private Fees For Girls**						
S.No	Class	Exam Fee	Marksheet Fee	Total	S.No	Class	Exam Fee (Hike 50%)	Marksheet Fee (Hike 50%)	Total	Rounded Of Rs 10	Total Fees Hike(IN Rs)
1	Munshi/ Maulvi	90.00	30.00	120.00	1	Munshi/ Maulvi	135.00	45.00	180.00	180.00	60.00
2	Alim	105.00	30.00	135.00	2	Alim	157.50	45.00	202.50	210.00	67.50
3	Kamil	160.00	30.00	190.00	3	Kamil	240.00	45.00	285.00	290.00	95.00
4	Fazil	170.00	30.00	200.00	4	Fazil	255.00	45.00	300.00	300.00	100.00

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद,
704, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
जनपद–

पत्रांक 589 /पा0सं0–7(9)/2008 दिनांक 29 जून 2010

विशय–प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित नया आंशिक संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 215/पा0सं0–7(9)/2008 दिनांक 7 मई 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा संलग्न कर नये पाठ्यक्रम वर्ष 2001 को आगामी सत्र से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने जनपद के अनुदानित/गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के मदरसों में आगामी शैक्षिक सत्र जुलाई 2010 से उपरोक्त पत्र से संलग्न निसाबे तालीम के स्थान पर इस पत्र से संलग्न परिषद द्वारा दिनांक 16.6.2010 को अनुमोदित नया आंशिक संशोधित पाठ्यक्रम अपने जनपद के अनुदानित/गैर अनुदानित मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के मदरसों में लागू कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–संशोधित नये पाठ्यक्रम की प्रति।

भवदीय
ह0/–
(जावेद असलम)
रजिस्ट्रार

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन की सेवा में कृपया सूचनार्थ।
2. मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. समस्त प्रबन्धक अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त आलिया स्तर के मदरसे।

ह0/–
(जावेद असलम)
रजिस्ट्रार

Office upb

Scanned by CamScanner

New Syllabus

Munshi/Molvi

(Equivalent to Xth/High School)

Period :2 years; Total Subjects -06; Total Papers-10/11; Exam: At the end of II year course

Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Theology	03 Papers each in Shia/Sunni
2-Arabic Literature (Molvi)	02 Papers
Persian Literature (Munshi)	02 Papers
3-Urdu Literature	02 Papers
4- General English	01 Paper
5- General Hindi	01 Paper
6- Optional Subjects	01 Paper
a- Mathematics	
b- Home Science(Girls)	
c- Logic & Philosophy	
d-Social Science	
e - Science	
f- Tib (in case of Tib subject)	02 papers

Scanned by CamScanner

Alim (Arabic/Persian)

(Equivalent toXII/Intermediate)

Period :2 years; Total Subjects -05; Total Papers-9/10; Exam: At the end of the II year Course

Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Theology	03 Papers each in Shia/Sunni
2- Arabic Literature(Alim Arabic)	02 Papers
Persian Literature(Alim persian)	02 Papers
3- Urdu Literature	02 Papers
4- General English	01 Paper
5-Optional Subjects	01 Paper
a- Home Science (Girls)	
b- General Hindi	
c- Logic & Philosophy	
d- Tib(in case of Tib subject)	02 Papers
e- Social Science	
f- Science	
g- Typing	

Scanned by CamScanner

Kamil (Arabic)

(Equivalent to B.A.)

Period :3 years; Total Subjects -04; Total Papers-16; Exam: At the end of the each year Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Theology	06 Papers each in Shia/Sunni
2-Arabic Literature	06 Papers
3-Social Science	02 Papers
4-Optional Subjects	02 Papers

a-Logic & Philosophy

b- Persian Literature

c- Urdu Literature

d- General English

e-Computers

f- History of Islam

Scanned by CamScanner

Kamil (Persian)

Period :3 years; Total Subjects -04; Total Papers-16; Exam: At the end of the each year

Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Theology	06 Papers each in Shia/Sunni
2- Persian Literature	06 Papers
3-Social Science	02 Papers
4-Optional Subjects	02 Papers

a-Logic & Philosophy

b-Arabic Literature

c-History of Islam

d- General English

e-Computers

f- Urdu Literature

g- History of Modern Persian Literature

h- Translation & Insha & Tabeer

Scanned by CamScanner

Fazil Theology (Sunni)

(Equivalent to M.A.)

Period :2 years; Total Subjects -08; Total Papers-08; Exam: At the end of the each year

Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Mutala-i-Qur'an

2-Mutala-i-Hadith

3-Mutala-i-Fiqh Islami

4-Mutala Tasawwuf or Mutal Ilmmul-Kalam

5-Tehrikat-wa-Aqa'id

6-Islami Thaqafat

7-Islam & Science

8-Research Project

Scanned by CamScanner

Fazil

Fazil Theology (Shia)

Period :2 years; Total Subjects -08; Total Papers-08; Exam: At the end of the each year

Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Mutala-i-Qur'an
2-Mutala-i-Hadith
3-Mutala-i-Fiqh Islami
4-Mutala-i Tasawwuf or Mutala Akhalak-e-Islami
5-Tehrikat-wa-Aqaid
6-Islami Thaqafat
7-Islam & Science
8-Research Project

Scanned by CamScanner

Fazil-e-Mauqulat

Period :2 years; Total Subjects -08; Total Papers-08; Exam: At the end of the each year

Approved by UP Madarsa Education Board on dated: 16-6-2010

Subject:

1-Logic (Old &New)

2-Tabi'yat

3-Ilahiat

4- History of Islamic Philosophy

5- Kalam-wa-Tasawwuf

6- New Philosophy

7- Philosophy of Moral

8- Research Project

(जावेद असलम)
रजिस्ट्रार

file name: New Syllabus 2010

Scanned by CamScanner

जनाब अब्दुल हक़ जौनपुर द्वारा दिये गये लिखित सुझाव

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित दसवीं कक्षा, बारहवीं कक्षा एवं स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाओं के नामों एवं पाठ्यक्रम को आधुनिक एवं लाभदायक बनाने हेतु आवश्यक सुझाव

1. कक्षा–9 एवं कक्षा–10 की परीक्षा हेतु वर्तमान में प्रचलित नाम मुन्शी/मौलवी का शाब्दिक अर्थ माध्यमिक/दाश्मिक/सेकण्ड्री नहीं होने के कारण शिक्षा जगत में इसकी सर्वज्ञता स्थापित नहीं हो पायी है। इस कारण मुन्शी/मौलवी नाम के बजाये "सानवीया" (अंग्रेजी में Secondary Oriental Certificate) का नाम दिया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि सानवीया का अर्थ सेकण्ड्री है।
2. "आलिम" परीक्षा का नाम यथावत बाकी रखते हुऐ उसे अंग्रेज़ी में Upper Secondary Oriental Certificate कहा जाना उचित प्रतीत होता है।
3. विनियम 2016 के अनुसार कामिल उपाधि को अण्डर ग्रैजुऐट एवं फज़िल उपाधि को पोस्ट ग्रैजुऐट डिग्री परिभाषित किया जा चुका है। इन नामों में किसी परिवर्तन की आवश्यक्ता प्रतीत नहीं होती।

नोट– मुन्शी तथा मौलवी के स्थान पर सानवीया नाम की परीक्षा प्रस्तावित/लागू किये जाने की दशा में यह आवश्यक होगा कि उ0 प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 व उ0प्र0 मदरसा शिक्षा विनियम 2016 एवं मदरसा शिक्षा से सम्बन्धित समस्त राजाज्ञाओं/आदेशों में जहां–जहां "मुन्शी" व "मौलवी" अथ्वा "मुन्शी/मौलवी" शब्द अंकित हैं उनके स्थान पर सानवीया/सेकण्ड्री ओरियण्टल सर्टिफिकेट अंकित कराया जाना आवश्यक होगा।

4. उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा माध्यमिक एवं उत्तर माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं अर्थात् सानवीया एवं आलिम परीक्षाओं हेतु नवीन/संशोधित पठ्यक्रम का ढांचा प्रस्तावित किया जा रहा है।
5. "सानवीया परीक्षा":– इस परीक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा–9 एवं कक्षा–10 में अलग–अलग विभक्त होगा अर्थात् कक्षा–9 (जो गृह परीक्षा होगी) के सभी विषयों की परीक्षा पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वर्षान्त में होगी एवं कक्षा–10 की परीक्षा के सभी विषयों की परीक्षा (कक्षा–9 के पठ्यक्रम को छोडकर) कक्षा–10 के पाठ्यक्रम मात्र पर आधारित होगी।
6. कक्षा–10 में केवल उन्ही छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा जिन्होंने कक्षा–9 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए भी "कक्षा–9" की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
7. कक्षा–10 में असफल छात्र–छात्राएं भी पुनः कक्षा–10 में अध्ययन व परीक्षा हेतु आर्ह होंगे।
8. सानवीया (Secondary Oriental Certificate) परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत प्रस्तावित है:–

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ
की बैठक दिनांक 16.07.2019 का कार्यवृत्त

कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 572 दिनांक 12.07.2019 में अंकित एजेण्डा बिन्दुओं के आधार पर उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक UPSIDCO के मीटिंग हाल में दिनांक 16.07.2019 को अपरान्ह 01.00 बजे मा0 उपाध्यक्ष उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद(निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0)/प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री मनोज सिंह	निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण/उपाध्यक्ष
2.	श्री विनय कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
3.	डा0 यासमीन सुल्ताना नकवी	सदस्य
4.	श्री जिरगामुद्दीन	सदस्य
5.	श्री मो0 शहरयार	सदस्य
6.	श्री एस0एन0 पाण्डेय	संदस्य/सचिव

परिषद कार्यालय द्वारा जारी पत्रांक 572 दिनांक 12.07.2019 में अंकित एजेण्डा बिन्दुओं पर बैठक की कार्यवाही मा0 अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से प्रारम्भ की गयी।

मुख्य एजेण्डा

1. **गत् बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।**

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ की गत् बैठक दिनांक 24.01.2019 की कार्यवाही मा0 अध्यक्ष की अनुमति से रजिस्ट्रार द्वारा पढ़ कर सुनाई गई, जिसकी पुष्टि बैठक में उपस्थित समस्त मा0 सदस्यों द्वारा की गई।

2. **परीक्षा वर्ष 2020 की तैयारी पर विचार।**

बैठक में उपस्थित रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2019 की परीक्षायें माह फरवरी 2019 में सम्पन्न हुई थीं। इन परीक्षाओं के कुशलतापूर्वक सम्पन्न होने पर बोर्ड की प्रशंसा हुई है। बैठक में सभी सदस्यों द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई कि वर्ष 2020 में भी परीक्षायें उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं के साथ ही माह फरवरी 2020 में सम्पन्न करा ली जायें। रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद से यह अपेक्षा की गई कि परीक्षाओं की तिथि निदेशक/उपाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र निर्गत करायें।

3. **परीक्षा वर्ष 2020 हेतु पाठ्यक्रम के पुनर्गठन पर विचार।**

बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में यह विचार किया गया कि उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सी0बी0एस0ई0 व आई0सी0एस0ई0 सहित अन्य बोर्डों में भी वर्तमान में एक विषय के एक प्रश्न–पत्र के पैटर्न पर परीक्षा आयोजित की जाती है जबकि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में एक विषय के एक से अधिक प्रश्न–पत्र होते हैं। बोर्ड द्वारा इस विषय पर गंभीर चिन्तन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि अन्य बोर्ड की भाँति उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में भी एक विषय का एक प्रश्न–पत्र ही होगा। बैठक में पाठ्यक्रम समिति की सदस्य के रूप में उपस्थित डॉ0 यासमीन सुल्ताना नक़वी द्वारा इस निर्णय को मदरसा शिक्षा में एक अत्यन्त उपयोगी कदम बताते हुए इसका समर्थन किया

Scanned by CamScanner

गया। यह निर्णय लिया गया कि आलिया कक्षा में निम्न विषयों के एक–एक प्रश्न–पत्र होंगे जो 100–100 अंक के होंगे तथा इनमें 33 प्रतिशत अंक उत्तीर्णांक होगा–

अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1– थियोलॉजी (शिया/सुन्नी) 2–क–अरबी साहित्य (मौलवी परीक्षा हेतु) ख–फारसी साहित्य (मुंशी परीक्षा हेतु) 3– उर्दू साहित्य 4– सामान्य अंग्रेजी 5– सामान्य हिन्दी	1–गणित 2–गृह विज्ञान 3–लॉजिक एण्ड फिलास्फी 4–सामाजिक अध्ययन 5–विज्ञान 6–तिब

जिस विषय में पाठ्यक्रम बड़ा है उनमें प्रश्न–पत्र में एक से अधिक खण्ड होंगे तथा उनमें से प्रश्नों को हल किये जाने के विकल्प दिये जायेंगे। इस प्रकार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षा में मुंशी/मौलवी हेतु अब अनिवार्य विषयों के 05 प्रश्न–पत्र तथा वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न–पत्र होगा। इसी प्रकार आलिम (फारसी/अरबी) परीक्षा में निम्न विषयों के एक–एक प्रश्न–पत्र होंगेः–

अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
1– थियोलॉजी (शिया/सुन्नी) 2–क–अरबी साहित्य (मौलवी परीक्षा हेतु) ख–फारसी साहित्य (मुंशी परीक्षा हेतु) 3– उर्दू साहित्य 4– सामान्य अंग्रेजी	1–गृह विज्ञान 2–सामान्य हिन्दी 3–लॉजिक एण्ड फिलास्फी 4–सामाजिक अध्ययन 5–विज्ञान 6–तिब 7–टाइपिंग

यह निर्णय लिया गया कि आलिम कक्षा में उपर्युक्त विषयों के एक–एक प्रश्न–पत्र होंगे जो 100–100 अंक के होंगे तथा इनमें 33 प्रतिशत अंक उत्तीर्णांक होगा–
यह निर्णय लिया गया कि प्रश्न–पत्रों के गठन एवं उसकी रूप–रेखा हेतु पाठ्यक्रम समिति की शीघ्र एक बैठक आयोजित कर ली जाये।

4. **उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की भांति उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रश्नपत्रों एवं परीक्षा अवधि को सीमित किये जाने पर विचार।**

बैठक में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के मा0 सदस्य श्री जिरगामुद्दीन एवं श्री मोहम्मद शहरयार द्वारा यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को छोड़ कर शेष सभी बोर्डों में परीक्ष में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की आरम्भिक बोर्ड परीक्षा अर्थात मुंशी/मौलवी में न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की जाये। निदेशक/उपाध्यक्ष द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सभी की सहमति से परीक्षाफल घोषित होने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने सम्बन्धी प्राविधान किये जाने पर बल दिया गया। इस पर यह निर्णय लिया गया कि परीक्षाफल घोषित होने वाले वर्ष के 31 मार्च को मुंशी/मौलवी परीक्षा के अभ्यर्थी की आयु

Scanned by CamScanner

14 वर्ष हो। अर्थात 2020 की परीक्षा में 31 मार्च, 2020 को मुंशी/मौलवी कोर्स में परीक्षार्थी की न्यूनतम आयु 14 हो।

चर्चा के दौरान यह पाया गया कि मदरसा शिक्षा की एक डिग्री अधिकतम कितने वर्ष की अवधि में पूरी की जा सकती है, यह निर्धारित नहीं है। सम्यक विचारोपरान्त कोर्सवार अधिकतम समयावधि निम्नानुसार निर्धारित की गयी :–

कम संख्या	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि	वर्तमान में डिग्री पूरी होने की अधिकतम समयावधि	डिग्री पूरी होने की निर्धारित की जा रही अधिकतम समयावधि
1	2	3	4	5
1	मुंशी/मौलवी	02 वर्ष	कोई नहीं	04 वर्ष
2	आलिम (फारसी/अरबी)	02 वर्ष	कोई नहीं	04 वर्ष
3	कामिल (फारसी/अरबी)	03 वर्ष	कोई नहीं	06 वर्ष
4	फाजिल (समस्त)	02 वर्ष	कोई नहीं	04 वर्ष

5. मदरसा नूर बेगम नूरूल इस्लाम, ग्राम बलहीडा पो0 कुबेरस्थान, वि0ख0 पडरौना जिला कुशीनगर की मान्यता संबंधी प्रकरण पर विचार।

श्री सलाउद्दीन अंसारी प्रबन्धक मदरसा उक्त द्वारा अपने पत्र दिनांक 11.04.2019 में यह अनुरोध किया गया है कि उनके मदरसे में मानक के अनुरूप कक्ष निर्मित हो गये हैं और मान्यता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया जाये। मदरसा नूर बेगम नूरूल इस्लाम, ग्राम बलहीडा पो0 कुबेरस्थान, वि0ख0 पडरौना जिला कुशीनगर की मान्यता पर मान्यता समिति की बैठक वर्ष 2016 में विचार किया गया था किन्तु मदरसे के भूमि/भवन सम्बन्धी मानक पूर्ण न होने के कारण मान्यता प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया गया। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कुशीनगर से जॉच कराये जाने पर यह पाया गया कि उक्त मदरसा अपनी मान्यता के समय स्थापना हेतु विहित मानक पूर्ण नहीं करता है। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस मदरसे में भवन के मानक के संबंध में जॉच हेतु जिला प्रशासन से पुनः अनुरोध कर लिया जाये। समुचित आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मान्यता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने पर विचार किया जाये।

6. मदरसा शम्सुल उलूम निस्वां, घोसी, मऊ में दिनांक 04.08.2018 की घटना से सम्बन्धित समिति द्वारा जांच रिपोर्ट में मदरसे की मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति पर निर्णय लिये जाने के संबंध में।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मऊ द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को प्रेषित अपने पत्रांक 225/अ0स0क0/2019–2020 दिनांक 26 जून, 2019 के द्वारा जिलाधिकरी मऊ के पत्र दिनांक 26.10.2018 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया।

प्रकरण के परीक्षण में यह पाया गया कि मदरसा शम्सुल उलूम निस्वां, घोसी, मऊ में दिनांक 04.08.2018 को एक बालिका के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आयी थी जिसके कम में थाना कोतवाली घोसी, मऊ मुकदमा अपराध संख्या–मु0अ0स0 312/2018 दिनांक 12.08.2018 पंजीकृत किया गया। जिलाधिकारी मऊ द्वारा इस घटना के संबंध में 08 सदस्य समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा दिनांक 20.09.218 को

Scanned by CamScanner

जिलाधिकारी मऊ को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में इस मदरसे में कतिपय विसंगतियां/अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए इसकी मान्यता निलम्बित करने की संस्तुति की गई थी। इस मदरसे की मान्यता पूर्व में ही निलम्बित की जा चुकी है। बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद से यह अपेक्षा की गई कि इस मदरसे की मान्यता के प्रत्याहरण के संबंध में मदरसा मान्यता, प्रशासन एंव सेवा विनियमावली 2016 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

7. शासनादेश संख्या 1270/52—3—2019 दिनांक 05.07.2019 के माध्यम से शासन द्वारा परिषद कार्यालय में नियुक्त 04 दैनिक/संविदा कर्मियों को विनियमितीकरण किये जाने पर प्रदान की गई सहमति पर प्रकियात्मक कार्यवाही किये जाने पर विचार।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद में दैनिक वेतन/वर्क चार्ज, संविदा पर कुल 04 कर्मचारी कमशः श्री अरफानुल्ला खां, श्री अरमोगान अहमद, श्री फारूक अहमद तथा श्री मो0 हारिस इकबाल वर्ष 1997 से कार्यरत हैं। विनियमितीकरण हेतु इनके प्रत्यावेदन के कम में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व में किये गये अनुमोदन के उपरान्त शासनादेश संख्या—1270/52—3—2019 दिनांक 05.07.2019 में इन कर्मचारियों को वित्त एवं कार्मिक विभाग के शासनादेशों में दी गयी शर्तों अक्षरशः पालन/मिलान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में उपस्थित रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा यह अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनांक 05.07.2019 के अनुपालन में दैनिक वेतन/वर्क चार्ज, संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार चयन समिति का गठन किया गया था। चयन समिति द्वारा इन कार्मिकों को कनिष्ठ सहायक/लिपिक के पद पर विनियमित किये जाने हेतु अर्ह पाया गया है। प्रकरण में विचारोपरान्त विनियमितीकरण नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार इन कार्मिकों के विनियमितीकरण सम्बन्धी आदेश नियमानुसार निर्गत किये जाने हेतु रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को अधिकृत किया गया।

अनुपूरक एजेण्डा

8. मदरसों में स्काउट गाइड कार्यकम को संचालित कराया जाना।

बैठक में सभी अनुदानित/मान्यता प्राप्त मदरसों में स्काउट एवं गाइड के प्रशिक्षण कार्यकम लागू किये जाने पर विचार किया गया। यह पाया गया कि स्काउट गाइड नवयुवकों के लिए निम्न प्रकार से सहायक/लाभदायक हैः—

क—यह देश—भक्त, बहादुर, फर्तीले, सक्रिय, बुद्धिमान, अग्रगामी तथा दूरदर्शी नागरिकों का निर्माण करने वाली संस्था है।

ख—उत्तम नागरिकता की पाठशाला है। खाली समय का सदुपयोग है। यह एक शैक्षिक आन्दोलन है। यह एक शिक्षाप्रद खेल है।, प्रसन्नतादायक वातावरण है।, नेतृत्व का प्रशिक्षण है।

ग—व्यक्ति का चारित्रिक विकास, शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास कर, समाज सेवा और ईश्वर के प्रति कर्तव्य बोध कराने वाली अद्वितीय संस्था है।

घ—भाई—चारा तथा विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाली संस्था है।

उद्देश्यः—इसका उद्देश्य नवयुवकों के विकास में इस तरह योगदान करना है जिसमें उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्धिक, समाजिक तथा अध्यामिक अन्तः शक्तियों की उपलब्धि हो।

Scanned by CamScanner

व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय समुदायों के सदस्यों के रूप में प्राप्त किया जा सके।

अतः मदरसों के छात्र/छात्राओं के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास एवं राष्ट्र निर्माण में मदरसों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की भूमिका सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सभी मदरसों में स्काउट एवं गाइड कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. मदरसों को एन0सी0सी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना।

मदरसों में एन0सी0सी0 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया गया। यह पाया गया कि–

राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य युवा नागरिकों में चरित्र निर्माण, भाई–चारा, अनुशासन, धर्म–निरपेक्ष दृष्टिकोण, सामरिक भावना और निःस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। इसका एक और उद्देश्य एक ऐसा संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवा संगठन तैयार करना है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर सके और चाहे वे कोई भी कैरियर अपनाएं वे राष्ट्र की सेवा करें। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ऐसा वातावरण भी प्रदान करना है जो युवा भारतीयों को शस्त्र सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के अनुकूल है।

देश के युवाओं में चरित्र, भाई–चारा, अनुशासन, नेतृत्व, धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण, सामरिक भावना और निःस्वार्थ सेवा के आदर्श विकसित करना। संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवा मानव संसाधन बनाना। जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना और राष्ट्र सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। ऐसा उपयुक्त वातावरण प्रदान करना जो युवाओं के शस्त्र सेनाओं में कैरियर अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करें।

अतः शिक्षा के साथ ही राष्ट्र सेवा में तत्पर होने हेतु मदरसों में एन.सी.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

10. मदरसों को एन0एस0एस0 प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना।

मदरसों में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में गहन विमर्श हुआ। विचारोपरान्त यह पाया गया कि–

राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र की युवा शक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एक सक्रिय कार्यक्रम हैं। इसकी गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थी समाज के लोगों के साथ मिलकर समाज के हित के कार्य करते हैं। जैसे सामाजिक कुरीतियों के निवारण संबंधी कार्य, साक्षरता संबंधी कार्य, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई, आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ित लोगों की सहायता आदि। विद्यार्थी जीवन से ही समाजोपयोगी कार्यों में रत रहने से उनमें समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के गुणों का विकास होता है। एक आदर्श नागरिक बनने के लिए इन गुणों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है।

अतः छात्र के सर्वांगीण विकास में सहयोगी इस कार्यक्रम से जुड़े क्रियाकलाप एवं प्रशिक्षण सभी मदरसों में संचालित कराये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned by CamScanner

11. मदरसों में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम (NIOS) से जोडना।

दीनी तालीम के साथ–साथ दुनियावी तालीम और आज के परिवेश में रोजगार परक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह विचार किया गया कि मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ ही सरकार द्वारा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वर्ष 2018 में एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया। उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की डिग्रियों के साथ अन्य रोजगार परक पाठ्यक्रम पर विचार के क्रम में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयी पाठ्यक्रम पर विचार किया गया। यह पाया गया कि–

इसके अन्तर्गत भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त निवेदनों के उत्तर स्परूप उन्हें स्कूली स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के उपयुक्त विकास संबंधी परामर्श प्रदान करना। जीविका और जीवन पर्यन्त शिक्षा के लिए पूर्व स्नातक स्तर तक आवश्यकता धारित शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम तैयर करना। शिक्षार्थियों के लिए गुणात्मक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा पाठ्यचर्चा, पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री के विकास में उत्कृष्टता प्राप्त करना। पूर्व स्नातक स्तर तक की शिक्षा में स हायता प्रदान करने के लिए प्रभावशाली शिक्षार्थी सहायता प्रणाली विकसित करने हेतु संस्थाओं को प्रत्यायित करना। अनुसंधान और विकास की गतिविधियॉ द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को सशक्त करना। नेटवर्किंग, अक्षमता निर्माण, संसाधनों की भागीदारी और गुणवत्ता सुनिश्चित करके राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा का प्रसार करना।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इसका प्रस्ताव तैयार कराते हुए शासन से अनुमति प्राप्त की जाये तथा इस संबंध में प्रकियात्मक कार्यवाही शीध्र कराई जाये।

12. मदरसा परीक्षा में डिग्री के अन्तिम वर्ष में सफल हुए मेधावी छात्रों को सम्मानित/पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया तथा छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु इस प्रकार के प्रोत्साहन पर बल दिया गया। रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद से यह अपेक्षा की गई कि मदरसों के मेधावी छात्रों कों पुरस्कृत किये जाने के सबंध में पुरस्कार की राशि एवं अन्य कार्यवाही शासन से मार्ग–दर्शन प्राप्त कर सुनिश्चित करायें।

13. अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष की अनुमति से।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को काउंसिल ऑफ बोर्डस ऑफ स्कूल एजूकेशन (COBSE) में सम्मिलित किया जाना–

बैठक में यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद का पंजीकरण काउंसिल ऑफ बोर्डस ऑफ स्कूल एजूकेशन (COBSE) में न होने के कारण छात्रों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बोर्ड तथा छात्रों के व्यापक हित में यह निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद का पंजीकरण काउंसिल ऑफ बोर्डस ऑफ स्कूल एजूकेशन (COBSE) में कराये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाये तथा रजिस्ट्रार उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद प्रत्येक सप्ताह इस कार्यवाही की समीक्षा करें।

क–उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद से बिना मान्यता के संचालित मदरसों पर विचार–

बैठक में सभी मा0 सदस्यों द्वारा इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि प्रदेश में ऐसे बहुतायत मदरसे हैं जो उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। यह मदरसे बिना किसी की अनुमति से संचालित हैं। कई मदरसों में छात्र/छात्राओं के

Scanned by CamScanner

छात्रावास बने हुए हैं तथा बिना सक्षम प्राधिकरण/निकाय की अनुमति से इनके द्वारा भवन निर्माण किया गया है। ऐसे मदरसों में गत दिनों कई घटनायें प्रकाश में आई। जनसामान्य द्वारा इस पर यह अपेक्षा की जाती है कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद अनियमित रूप से संचालित मदरसों पर कार्यवाही करे। विचारोपरान्त यह पाया कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद ऐसे मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में कार्यवाही कर सकता है, जो मानक पूर्ण नहीं करते हैं किन्तु ऐसे मदरसे जो परिषद से मान्यता प्राप्त नहीं हैं वे उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की कार्यवाही के दायरे में नहीं आते हैं। यह निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त मदरसों का पूरा विवरण उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के वेब पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाये तथा ऐसे मदरसे जो मान्यता प्राप्त नहीं है, की जॉच नियमतः सम्बन्धित जिला प्रशासन से अनुरोध कर लिया जाय।

ख—उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के विचारार्थ यह बिन्दु लाया गया कि कतिपय छात्र/छात्रायें एक स्ट्रीम (Streem) अर्थात अरबी से दूसरे वर्ष में फारसी से आवेदन करते पाये गये हैं। इसी प्रकार कतिपय छात्र/छात्राओं द्वारा प्रथम वर्ष की परीक्षा का आवेदन एक मदरसे किया जाता है तथा दूसरे वर्ष में किसी अन्य मदरसे से किया जाता है, ऐसी स्थिति में परीक्षाफल तैयार करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसी के साथ ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि प्रथम वर्ष में शिया अथवा सुन्नी दीनियात में परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्र/छात्राओं द्वारा अगले परीक्षा वर्ष में दीनियात की स्ट्रीम भी बदल दी जाती है। परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं:—

(i)—किसी स्ट्री अर्थात अरबी से फारसी, फारसी से अरबी अथवा शिया दीनियात से सुन्नी या सुन्नी दीनियात से शिया में परिवर्तन पर रोक लगाई जाती है।

(ii)—किसी भी परीक्षार्थी को एक कोर्स के सभी परीक्षाओं को एक ही मदरसे से आवेदन किये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस नियम में कोई शिथिलता नही होगी।

ग— मदरसा बकरूल उलूम निस्वां दरियाबाद, इलाहाबाद(प्रयागराज) को उसकी निजी भूमि/भवन में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद (प्रयागराज) द्वारा अपने पत्रांक संख्या 1711 दिनांक 08 मार्च 2016 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रबन्धतंत्र मदरसा बकरूल उलूम निस्वां, दरियाबाद इलाहाबाद की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मदरसा अपने निजी भूमि/भवन में संचालित न होकर किराये के भवन में संचालित हो रहा था किन्तु अब मदरसा प्रबन्धतंत्र द्वारा मौजा बाजूपुर करैली इलाहाबाद में उपरोक्त मदरसे की निजी भूमि पर मदरसे का भवन का निर्माण मानक के अनुसार करा लिया गया है, जिसके क्रम में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा मदरसा बकरूल उलूम निस्वां हेतु मौजा बाजूपुर करैली परगना व तहसील सदर इलाहाबाद में निर्मित कराये गये भवन का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं मदरसा मानक के अनुसार पाये जाने की दशा में मदरसा को उसके निजी भूमि/भवन मौजा बाजूपुर करैली परगना व तहसील सदर इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की गई।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति के आधार पर बोर्ड द्वारा मदरसा बकरूल उलूम निस्वां दरियाबाद, इलाहाबाद को उसके निजी भवन मदरसा बकरूल उलूम निस्वां, मौजा बाजूपुर करैली परगना व तहसील सदर इलाहाबाद में स्थानान्तरित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई और रजिस्ट्रार, उ0प्र0

Scanned by CamScanner

मदरसा शिक्षा परिषद को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

घ—बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि कार्यालय उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के अधीन विभागीय गाड़ी संख्या **UP 32 BG 3193** (अम्बेस्डर कार) जो लगभग 1,50,000 किमी0 से अधिक चल चुकी है एवं अत्यन्त खराब स्थिति में होने के कारण किसी भी शासकीय कार्य हेतु आवागन नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति में विभागीय कार को VEED OUT कराये जाने के उपरान्त एक नवीन कार हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस पर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई और रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद को इस संबंध में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ह0/-
(मनोज सिंह)
उपाध्यक्ष

पत्रांक 628 /म0शि0परि0—बैठक/2019 दिनांक 23 जुलाई 2019

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन।
2. मा0 उपाध्यक्ष/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. समस्त मा0 सदस्यगण उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
5. कार्यालय पत्रावली हेतु।

23.7.19
(एस0एन0 पाण्डेय)
रजिस्ट्रार/निरीक्षक

Scanned by CamScanner